तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:24145-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5566/2018

गिरीश सिंह पटेल आत्मज श्री उमाशंकर पटेल, आयु लगभग 34 वर्ष, वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यरत, कार्यालय-कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (ए. आई. सी.) अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, निवासी-अकलतरा, जवाहर पारा, गली नंबर 3, थाना अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव पशुधन और विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, इंद्रावती भवन भूतल, ब्लॉक-3, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा सचिव, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066।

4. कामधेनू विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा कुलपति।

5. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) शिक्षा केंद्र 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार दिल्ली-110092।

6. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अध्यक्ष, पॉकेट 14 के पास, फेज-1, मदर डेयरी के पास, द्वारका सेक्टर 8, दिल्ली-110077।

7. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सचिव महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

---- उत्तरवादीगण

रिट याचिका क्रमांक 5832/2018

रीमा नंदी आत्मजा स्वर्गीय खागेंद्र चंद्र नंदी, आयु लगभग 30 वर्ष, वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यरत, कार्यालय- आउटलाइन डिस्पेंसरी (ओ. एल. डी.), पल्ली, जिला नारायणपुर, निवासी-मेन रोड, बखरुपारा, थाना नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव पशुधन और विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, इंद्रावती भवन भूतल, ब्लॉक-3, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा सचिव, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066।

4. कामधेनू विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा कुलपति।

5. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) शिक्षा केंद्र 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार दिल्ली-110092।

6. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अध्यक्ष, पॉकेट 14 के पास, फेज-1, मदर डेयरी के पास, द्वारका सेक्टर 8, दिल्ली-110077।

7. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सचिव महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुनील कुमार सोनी, अधिवक्ता।

अनावेदक /राज्य के लिए : श्री प्रफुल्ल एन. भरत, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

उत्तरदाता संख्या 4 के लिए : श्री ए. एस. कछवाह, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 5 के लिए : श्री टी. के. तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 6 के लिए : श्री अमन तंबोली, अधिवक्ता।

माननीय श्री अजय कुमार त्रिपाठी, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28/09/2018

अजय कुमार त्रिपाठी, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

1. पक्षकारों की सलाह सुनी।

2. इन दोनों रिट आवेदनों में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत समान है, इसलिए, दोनों को जोड़कर एक साथ सुना गया।

3. वर्तमान विवाद की उत्पत्ति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (इसके बाद 'सी. बी. एस. ई.' के रूप में संदर्भित) द्वारा इन याचिकाकर्ताओं के परिणाम की घोषणा न करने से संबंधित है। विचाराधीन परीक्षा को एन. ई. ई. टी.-2018 के रूप में जाना जाता है और उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन डिग्री में प्रवेश की सुविधा भी प्रदान करती है।

4. इन याचिकाकर्ताओं के परिणाम को सी. बी. एस. ई. द्वारा इस आधार पर रोक दिया गया है क्योंकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने मानदंडों को निर्धारित करते हुए एक विनियमन दिनांक 08.07.2016 जारी किया है, जिसके तहत स्नातक शिक्षा के न्यूनतम मानकों अर्थात स्नातक पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन डिग्री पाठ्यक्रम (जिसे इसके बाद 'बी. वी. एस. सी. और ए. एच.' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार प्रवेश को विनियमित किया जाएगा।

5. हम विनियम 6 के बारे में चिंतित हैं, जो विनियम 2016 के भाग-3 का एक भाग है और पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित है। विनियम 6 निम्नानुसार हैः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"भाग III

पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश

6. प्रवेश के लिए मानदंड - एक उम्मीदवार को पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि,

(क) उसने पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के उस वर्ष 31 दिसंबर को या उससे पहले न्यूनतम 17 वर्ष की आयु और अधिकतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी।

(ख) उसने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी (एक मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में) के विषयों के साथ इन विनियमों के तहत परिभाषित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और विनियमों (7) के तहत निर्दिष्ट अंक प्राप्त किए हैं या भौतिकी,

रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान लेने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड की मध्यवर्ती विज्ञान परीक्षा के समकक्ष परीक्षा, जिसमें इनमें से प्रत्येक विषय और अंग्रेजी में एक व्यावहारिक परीक्षा शामिल है।"

6. इसलिए सी. बी. एस. ई. के वकील का आधार यह है कि वे विनियमन 2016 द्वारा शासित और निर्देशित हैं और विनियमन स्वयं <पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए एक योग्य उम्मीदवार के संबंध में न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित करता है। यह उपरोक्त विनियमन है, जो इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित करने में सी. बी. एस. ई. के रास्ते में आया है। वे सभी निर्धारित आयु के अनुसार 25 वर्ष से अधिक हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अब तक, विनियमन और उसमें बनाए गए प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति निश्चित रूप से सी. बी. एस. ई. को अधिक उम्र के उम्मीदवारों के परिणाम घोषित नहीं करने के लिए उचित ठहराती है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। विनियमन 2016 और एन. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित करने के संबंधित निर्णय और अधिसूचना के बाद, सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेना होगा, अर्हता प्राप्त करनी होगी और विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना होगा।याचिकाकर्ताओं के लिए समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है क्योंकि वे नए छात्र नहीं हैं, जो एक स्कूल से उत्तीर्ण हुए हैं और पशु चिकित्सा विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं।ये याचिकाकर्ता विभागीय उम्मीदवार हैं जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा और रोजगार में हैं और उन्हें भी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद से पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के रूप में पदोन्नति अर्जित करने के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम की डिग्री अर्जित करनी होगी।

8. छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक नियम बनाया, जिसे "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) भर्ती सेवा नियम, 2011 (इसके बाद" नियम, 2011 "के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाएगा ।चूंकि नियम, 2011 के अन्य प्रावधान वर्तमान मुद्दे के लिए सुसंगत नहीं हैं, इसलिए हम खुद को नियम 14 तक सीमित रखते हैं, जिसे तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है :

"14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें -

(1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष 1 जनवरी को उन पदों पर सेवा के इतने वर्ष (चाहे वे स्थानापन्न हों या मूल) पूरे कर लिए थे, जिन पदों से अनुसूची-4 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदोन्नति की जानी है या सरकार द्वारा उनके समकक्ष घोषित कोई अन्य पद या पद और वे उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचार क्षेत्र के भीतर हैं।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए गणना की विधि - संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को योग्यता सेवा की अवधि की गणना जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति बुलाई जाती है, उस कैलेंडर वर्ष से गिना जाएगा जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा का हिस्सा/पद के वेतनमान में शामिल हुआ है, न कि संवर्ग/सेवा का हिस्सा/पद के वेतनमान में शामिल होने की तारीख से।

(2) प्रत्येक संवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर चयन सूची में शामिल लोक सेवकों की संख्या का 25 प्रतिशत तक या दो लोक सेवकों का नाम, जो भी अधिक हो, उप-नियम (2) के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत अपेक्षित रिक्तियों के अलावा उपरोक्त अवधि के दौरान अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

(3) पदोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सूची के अनुसार की जाएगी।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश पदोन्नति के लिए लागू होंगे।"

9. नियम, 2011 में अनुसूचियाँ भी संलग्न हैं और वर्तमान मामलों के लिए जो सुसंगत अनुसूचियाँ हैं वह अनुसूचियाँ **IV** हैं, जो निम्नानुसार हैंः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुसूचियाँ IV

देखें नियम-14

सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	**पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा/अनुभव**	**सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है**	**विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम**	**टिप्पणियां**
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अतिरिक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	3 वर्ष	निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	1) मुख्य सचिव- अध्यक्ष (2) कृषि उपज आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पशु धन विकास विभाग-सदस्य।	

संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	5 वर्ष	अतिरिक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष। (2) सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा-सदस्य।	
उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	3 वर्ष	संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष। (2) सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा-सदस्य।	
पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	12 वर्ष	उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष। (2) सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा-सदस्य।	
पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	12 वर्ष	उप निदेशक, पशु	1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		चिकित्सा सेवाएँ	मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष। (2) सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा-सदस्य।	
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4 वर्ष	अतिरिक्त निदेशक (सांख्यिकी)	1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष। (2) सचिव, पशु धन विकास विभाग-सदस्य। (3) निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा-सदस्य।	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अनुसूची **IV** के साथ में नियम 14 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पांच साल तक उस क्षमता में काम करने के बाद अगले उच्च पदोन्नति पद अर्थात पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के लिए पदोन्नति अर्जित कर सकता है बशर्ते उसने विभागीय उम्मीदवार के रूप में पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। विभागीय उम्मीदवारों के लिए, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है और यह अनुलग्नक पी/2 से स्पष्ट है, जिसे शुरू में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया था, लेकिन तब से छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी संबंधित अधिसूचना दिनांक 09.01.2017 (अनुलग्नक पी/3) द्वारा अपनाया गया है।

11. चूंकि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के लिए आई. डी. 1. और ए. एच. पाठ्यक्रम की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है और चूंकि अब एन. ई. ई.

टी. परीक्षा में भाग लिए बिना किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, इसलिए ये याचिकाकर्ता विभागीय उम्मीदवार हैं और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद धारण करते हैं और एन. ई. ई. टी.-2018 की परीक्षा में बैठे थे, लेकिन, सी.बी.एस.ई., जो ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है, द्वारा उनके परिणाम घोषित न किए जाने से उनका भाग्य निश्चित हो गया है ।

12. विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या विनियमन 2016, विशेष रूप से विनियमन 6 को ऐसे विभागीय उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा के रास्ते में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि विनियम 6 को अकेले खड़े होने की अनुमति दी जाती है, तो कोई भी विभागीय उम्मीदवार कभी भी पदोन्नति का अपना अगला अवसर अर्जित नहीं कर सकता है, क्योंकि पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसके अलावा, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, देश भर में परीक्षा आयोजित करने का केवल एक ही तरीका है और यहां तक कि विभागीय उम्मीदवारों को भी उक्त सामान्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेना पड़ता है, इसलिए, यह आयोजित किया जाता है और घोषित किया जाता है कि विनियमन 6 विभागीय उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा के रास्ते में नहीं आएगा।ऐसे छात्रों या परीक्षार्थियों के संबंध में विनियमन 6 अनिवार्य और बाध्यकारी है, जो स्कूल से नए हैं औरपशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन विभागीय उम्मीदवारों के उद्देश्य के लिए, अधिकतम आयु को 25 वर्ष के बजाय 35 वर्ष के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसके बारे में विनियमन 6 में बात की गई है अन्यथा पदोन्नति से संबंधित नियम निरर्थक हो जाएंगे और ऐसे विभागीय उम्मीदवारों की भविष्य की सभी संभावनाएं हर समय विफल नहीं होने पर बाधित हो जाएंगी।

14. इसलिए उत्तरवादी-भारत संघ, विशेष रूप से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को निर्देश दिया जाता है कि वे विनियमन 6 में संबंधित संशोधन लाएंगे और स्पष्ट करेंगे कि विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष या राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार अधिसूचित आयु होगी और उनके लिए 25 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने वाला विनियमन 6 लागू नहीं होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद और मुकदमे न उठें।

15. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद इस संबंध में सी. बी. एस. ई. को उचित निर्देश दे और सी. बी. एस. ई., बदले में, आवेदन पत्र या घोषणा में उचित प्रावधान भी करेगा कि एक विशेष उम्मीदवार एक विभागीय उम्मीदवार है ताकि उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग किया जा सके जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक वर्तमान मुकदमों का संबंध है, उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, जो विनियमन 2016 और नियम, 2011 के बीच सामंजस्य लाने के लिए आवश्यक है, इन याचिकाकर्ताओं के परिणाम सी. बी. एस. ई. द्वारा आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर घोषित किए जाएंगे।इन याचिकाकर्ताओं के परिणाम या प्रदर्शन के अधीन, कॉलेज/विश्वविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी पात्रता और अधिकार तय किया जाएगा।

17. इन याचिकाकर्ताओं के रास्ते में आए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय निर्देश देता है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी सी. बी. एस. ई. द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद कट-ऑफ तिथि के बाद उनके प्रवेश के लिए प्रावधान करेगा। इस प्रकार निर्धारित कट-ऑफ तिथि इन याचिकाकर्ताओं के लिए प्रवेश प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आएगी बशर्ते कि उन्होंने भी योग्यता प्राप्त कर ली हो और एन. ई. ई. टी.-2018 परीक्षा में सफल रहे हों।

18. उपरोक्त वर्णित आधार पर दोनों रिट आवेदनों स्वीकार की जाती है।

प्रमाणित प्रति आज ही प्रदान की जाए ।

सही/-
(अजय कुमार त्रिपाठी)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur